अधिकांश लोग अन्य व्यक्तियों की सहायता करना पसंद करते हैं, और हम में से बहुत से लोग यह काम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, यानी उच्चस्तरीय देखभाल करना, यह चाहे व्यावसायिक रूप में हो, या मित्र और किसी संबंधी के रूप में।

परंतु कभीकभी देखभाल ठीक तरह नहीं की जाती, चाहे वह नासमझी के कारण हो या लापरवाही की वजह से, या कभीकभी जानबूझ कर भी ऐसा किया जा सकता है, जिसमें दुर्व्यवहार भी शामिल हो सकता है, जो व्यक्ति के लिये बहुत हानिकारक हो सकता है।

क्षति या हानि का जोखिम उन लोगों के लिये और अधिक हो जाता है जो स्वयं अपनी देखरेख ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, जिसके कारण अन्य लोग बड़ी आसानी से उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं।

ब्रेंट में हम दुर्व्यवहार को बिल्कुल भी बरदाश्त नहीं करते, और हम और आप मिल कर ऐसे बरताव से लोगों का बचाव कर सकते हैं।

दुर्व्यवहार से हम किन लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं?

18 वर्ष से ऊपर के उन व्यस्कों कीः
- जिनको विकलांगता या बीमारी के कारण सहायता चाहिये, या
- जो सार्थक क्षति या शोषण से अपनेआप को नहीं बचा सकते

दुर्व्यवहार क्या होता है?

" किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के मानव या सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन को दुर्व्यवहार कहते हैं "
नो सीक्रेट्स ***No Secrets*** – डीपार्टमैंट ऑफ़ हैल्थ 2000

दुर्व्यवहार निम्नलिखित प्रकार का हो सकता हैः

- **शारिरिक,** जैसे झिंझोड़ना या मारना
- **यौन-संबंधी,** जैसे अनचाही यौन संबंधी छेड़छाड़ करना
- **मानसिक या भावात्मक,** जैसे धमकियां देना, चिल्लाना, डराना
- **पैसे-संबंधी,** जैसे पैसे चुरा लेना या पैसे न देना
- **उपेक्षा करना या नजरअंदाज करना** जैसे किसी की देखभाल न करना
- **भेदभाव,** जैसे अन्यायपूर्ण व्यवहार करना
- **संस्थागत,** जब किसी संस्था की कार्यशैली ऐसी हो कि उससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे

दुर्व्यवहार कौन कर सकता है?

कोई भी दुर्व्यवहार कर सकता है, यह जरूरी नहीं कि दुर्व्यवहार जानबूझ कर किया गया हो। दुर्व्यवहार निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता हैः

- **वेतनभोगी केयर-वरकर्स**
- **देखभाल करने वाले**
- **व्यावसायिक कर्मचारी**
- **स्वयंसेवी (वॉलनटियर्स)**
- **अन्य सेवाभोक्ता**
- **सगेसंबंधी या परिवार के मित्रगण**
- **दोस्त या पड़ोसी**
- **अजनबी लोग**

दुर्व्यवहार कहां हो सकता है?

दुर्व्यवहार किसी भी जगह पर हो सकता हैः
- **व्यक्ति के अपने घर में**
- **किसी और के घर में**
- **नर्सिंग या रेसिडेंशियल होम में**
- **डे-सेंटरों में**
- **अस्पतालों में**
- **सार्वजनिक स्थानों पर**

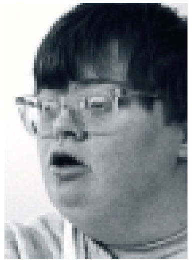

मैं क्या कर सकता हूं यदिः

- **मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है**
- **कोई ऐसा व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है जिसे मैं जानता हूं, या मुझे किसी पर शक है**
- **मुझे डर है कि मैं स्वयं किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता हूं**

इस पुस्तिका में आगे दिये गए नंबरों में से किसी भी नंबर पर हमसे संपर्क करें।

फिर क्या होगा?

- **हम आपकी रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करेंगे**
- **हम मामले की छानबीन करंगे**
- **जिस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है हम उसको सुरक्षा देंगे**
- **हम आपको सूचना देंगे**

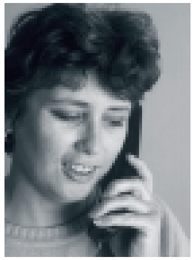

दुर्व्यवहार की अनदेखी न करें, क्योंकि यदि आपने इस बारे में रिपोर्ट नहीं की तो संभव है कि अन्य लोग भी दुर्व्यवहार का शिकार बनें।

आइये, ब्रेंट में दुर्व्यवहार को रोकने के लिये हम सब मिल कर इसके विरुद्ध काम करें।

किसी व्यक्ति के लिये यह सुवीकारना मुश्किल हो सकता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या स्वयं उनमें यह इच्छा होती है कि वह किसी के साथ दुर्व्यवहार करे।

जब दुर्व्यवहार किसी एसे व्यक्ति के साथ किया जाए जो अपनी सुरक्षा न कर सके तो यह और भी अधिक खतरनाक होता है।

ब्रेंट में हम दुर्व्यवहार को बिल्कुल भी बरदाश्त नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दुर्व्यवहारमुक्त जीवन बिताने का अधिकार है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं?

हमसे बात करेंः मिलजुक कर हम ब्रेंट से दुर्व्यवहार को समाप्त कर सकते हैं।

निम्नलिखित के सहयोग सेः

- हाउसिंग ऐंड कम्यूनिटी केयर डीपार्टमेंट, ब्रेंट काउंसिल
- ब्रेंट एनएचएस टीचिंग प्राइमरी केयर ट्रस्ट
- मेट्रोपॉलीटन पुलिस
- ब्रेंट एसोसिएशन फ़ॉर वॉलनट्री ऐक्शन
- ब्रेंट केयरर्स सेंटर

संपर्क सूचना

ब्रेंट काउंसिल वन-स्टॉप सर्विस
फ़ोनः 020 8937 4300

पुलिस से रिपोर्ट करने का नंबर
फ़ोनः 020 7372 1212

ब्रेंट केयरर्स सेंटर (देखभाल करने वालों के लिये)
फ़ोनः 020 8795 6240

ऐक्शन ऑन एलडर अब्यूज़ हेल्पलाइन
फ़ोनः 080 8808 8141 मुफ़्तफ़ोन

याद रखेंः यदि इमरजेंसी हो तो 999 डायल करें

वापिस भेजेंः One Stop Service, Support Office, Brent Town Hall, Forty Lane, Wembley, Middlesex HA9 9HD

नाम ....

पताः ....

....

पोस्टकोड ....

Hindi

व्यस्कों को दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखना

“सब लोगों को अधिकार है कि वे हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्त रह कर अपना जीवन बिता सकें”

सेफ़गार्डिन्ग एडल्ट्स
ADASS 2005